सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं: NCST/DEV-2050/MH/114/2023-RO-BH (RU-I) **दिनांक: 28.04.2026**

कलेक्टर एवं जिलाधिकारी,
जिला-मुंबई-उप-नगर,
कलेक्टर कार्यालय मुंबई उपनगरीय जिला,
10वीं मंजिल, प्रशासनिक भवन, चेतना कॉलेज के पास,
सरकारी कॉलोनी, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.mumbaisuburb@maharashtra.gov.in

पुलिस आयुक्त, मुंबई,
महाराष्ट्र सरकार,
पुलिस आयुक्त का कार्यालय,
डी. एन रोड, क्रॉफर्ड मार्केट के सामने,
मुंबई, महाराष्ट्र 400001
ई-मेल: cp.mumbai@mahapolice.gov.in
dcpzone5-mum@mahapolice.gov.in

नगर आयुक्त,
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी),
द्वितीय तल, पुरानी बिल्डिंग,
बीएमसी मुख्यालय, महानगरपालिका मार्ग,
मुंबई-400001, महाराष्ट्र
ई-मेल आईडी: mc@mcgm.gov.in

महानगर आयुक्त,
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स
एमएमआरडीए, नया प्रशासनिक भवन,
ई ब्लॉक बीकेसी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र 400051
ई-मेल: mc@mailmmrda.maharashtra.gov.in

निदेशक,
आईआईटी बॉम्बे,
पवई, मुंबई 400 076, महाराष्ट्र,
ई-मेल: director@iitb.ac.in

विषय: अतिक्रमण दिखाकर विस्थापित करने के सम्बंध में श्रीमती मीना प्रभाकर रावते, अध्यक्ष, भानशीला आदिवासी रहिवाशी सोसाईटी, भनशीला पेरूबाग विहारलेक रोड, पासपोली गांव, पोस्ट-निटी पवई, मुंबई (महाराष्ट्र) का दिनांक 17.07.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 23.02.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्रीमती मीना प्रभाकर रावते,
अध्यक्ष,
भानशीला आदिवासी रहिवाशी सोसाईटी,
भनशीला पेरूबाग विहारलेक रोड, पासपोली गांव,
पोस्ट-निटी पवई, मुंबई (महाराष्ट्र)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/DEV-2050/MH/114/2023-RO-BH
अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई–I

आईआईटी पवई एवं एमएमआरडीए के मध्य हुए समझौते के अंतर्गत आदिवासी परिवारों के विस्थापन एवं पुनर्वसन से संबंधित शिकायत – श्रीमती मीना प्रभाकर रावते के अभ्यावेदन पर दिनांक 23.02.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

1. सिटिंग/सुनवाई की तिथि एवं अध्यक्षता:

दिनांक: 23.02.2026

अध्यक्षता: माननीय अध्यक्ष महोदय

2. सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी: (अनुलग्नक–I के अनुसार)

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को श्रीमती मीना प्रभाकर रावते, निवासी – भानशीला, पेरूबाग, विहारलेक रोड, पासपोली गांव, पोस्ट निटी, पवई, मुंबई (महाराष्ट्र) से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

अभ्यावेदन में अवगत कराया गया है कि उक्त क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के अनेक परिवार वर्षों से निवास कर रहे हैं। आवेदिका के अनुसार दिनांक 21.06.2007 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) पवई एवं मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) के मध्य हुए समझौते के आधार पर वहां निवासरत आदिवासी परिवारों को अतिक्रमणकारी घोषित कर जबरन विस्थापित किया जा रहा है।

आवेदिका का यह भी कहना है कि संबंधित भूमि के प्रॉपर्टी कार्ड में उनके दादाजी का नाम दर्ज है, किंतु क्षेत्र में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। वर्ष 2013 में पेरूबाग क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति परिवारों का बायोमैट्रिक सर्वेक्षण किया गया, जिसके आधार पर कई परिवारों को अतिक्रमणकारी घोषित किया गया।

आवेदिका ने आरोप लगाया है कि उक्त सर्वेक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत की गई, अतः इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाना आवश्यक है।

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

दिनांक 13.09.2023 को प्राप्त प्रतिवेदन में अवगत कराया गया कि आईआईटी पवई की लगभग 10,000 वर्ग मीटर भूमि जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड (JVLR) परियोजना हेतु आवश्यक थी। दिनांक 21.06.2007 को हुए समझौते के अनुसार झोपड़ीधारकों के पुनर्वसन की जिम्मेदारी MMRDA को सौंपी गई थी। वर्ष

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

2010 में SPARC संस्था द्वारा 137 झोपड़ीधारकों का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें से 97 झोपड़ीधारकों ने पुनर्वसन स्वीकार किया और उनका पुनर्वसन कर दिया गया। बाद में 2013 में जिला प्रशासन द्वारा 433 झोपड़ीधारकों का बायोमैट्रिक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 345 झोपड़ीधारकों को पात्र घोषित किया गया। इनमें से 162 का पुनर्वसन कुर्ला (भंडारी मेटलर्जीज परिसर) तथा 142 का पुनर्वसन मीरा रोड (जनता डेयरी सोसायटी) में किया गया। शेष पात्र व्यक्तियों का पुनर्वसन प्रक्रिया में है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि श्रीमती मीना रावते एवं अन्य कुछ परिवारों ने पुनर्वसन स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण उनका पुनर्वसन नहीं हो सका। साथ ही यह भी बताया गया कि संबंधित भूमि आईआईटी पवई (केंद्र सरकार की संपत्ति) है, अतः भूमि स्वामित्व से संबंधित निर्णय आईआईटी प्रशासन के स्तर पर लिया जाना उचित होगा।

5. पिछली सुनवाई के अभिलेख:

दिनांक 19.12.2025 को आयोजित सुनवाई में रजिस्ट्रार एवं सलाहकार, आईआईटी पवई; सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता, बृहन्मुंबई महानगरपालिका; पुलिस आयुक्त कार्यालय के प्रतिनिधि; तथा अतिरिक्त आयुक्त एवं अपर जिलाधिकारी, MMRDA उपस्थित हुए, जबकि जिला कलेक्टर, मुंबई उपनगर अनुपस्थित रहे।

सुनवाई तिथि को जिला कलेक्टर, मुंबई उपनगर, महाराष्ट्र के प्रतिनिधि श्री प्रशांत ठगे, SDM व पुलिस आयुक्त मुंबई उपनगर, महाराष्ट्र के प्रतिनिधि श्री प्रवीण पवार, पुलिस निरिक्षक, अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, निदेशक आईआईटी पवई कार्यालय के प्रतिनिधि श्री गणेश भोरकड़े उपस्थित रहे तथा याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सुनवाई के दौरान उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त भूमि पर भानशीला पाड़ा के जनजाति परिवार तथा आईआईटी दोनों का कब्जा/वास्तविक उपयोग मौजूद है। क्षेत्र में लगभग 35 कच्चे-पक्के मकान एवं लगभग 100–150 आदिवासी निवासी रह रहे हैं। वहां मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, बिजली एवं सड़क की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, और स्थानीय लोग आजीविका हेतु कुक्कुटपालन, शेळीपालन तथा छोटी कृषि गतिविधियाँ करते हैं।

प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्थानीय आदिवासी परिवार अन्यत्र विस्थापन के लिए तैयार नहीं हैं तथा उसी स्थान पर रहने की मांग कर रहे हैं। वहीं आईआईटी पवई ने 3 किमी के दायरे में पुनर्वसन हेतु आवास उपलब्ध कराने तथा विहार तलाव तक मासेमारी के लिए आवागमन पास देने की सहमति व्यक्त की है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर संयुक्त स्थल निरीक्षण, अभिलेखों एवं पंचनामा के साथ वस्तुस्थितिपरक प्रतिवेदन आगे की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. दिनांक 23.02.2026 की सुनवाई उपरांत आयोग की अनुशंसाएँ:

1. ग्राम- भानशिला पाड़ा के रहवासी जिनके नाम निम्न प्रकार हैं- 1. रोहित राजू बरप, 2. बाबू अर्जुन बरप, 3 लता बिष्णु वाल्वी, 4. अनिता बाबू बरप, 5. संदीप बाबू बरप, 6. संगीता बाबू बरप, 7. अनिता अर्जुन

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

माल्वी, 8. राजू बाबू बरप, 9. आनंदी चिंतू गणेशकर, 10. कमला नितीन शेलार, 11. संजय चिंतू गणेशकर, 12. राजू चितू गणेशकर, 13. जयंती जयंत कोलेकर 14. रवी चिंतू गणेशकर, 15. सुनंदा गणेश जाधव, 16. सीता सदाशिव जाधव 17. अनुसया गोमा गुहे, 18. सुरेश रामचंद्र कोलेकर, 19. बेबी रामचंद्र कोलेकर, 20. बेबी रामचंद्र कोलेकर, 21. संतोष रामचंद्र कोलेकर. 22. सदानंद लक्ष्मण कोलेकर, 23. विजया विष्णू जाधव, 24. आकाश चंद्रकांत पवार, 25. कमल प्रकाश जाधव, 26. संगीता गुरुनाथ जाधव, 27. लक्ष्मी राजू पवार, 28. पांडू किसन कोलेकर, 29. पांडू किसन कोलेकर, 30. लाडकाबाई शांताराम कोलेकर, 31. अश्विनी आनंद कोलेकर, 32. मीना प्रभाकर रावते, 33. नंदा बाबू हेमाडे, 34. सविता पिंटया भुयाल, 35. रुपेश चंद्रकांत हेमाडे, 36. मंजुला चंद्रकांत हेमाडे, 37. मंगला सुकन्या कोलेकर 38. अनिता लक्ष्मण कोलेकर, 39. केशव सुक्रेया कोलेकर, 40. प्रिया अविनाश तोकरे, 41. संजय पांडू कोलेकर, 42. आशा पांडु कोलेकर, 43. जमनाबाई प्रभाकर कुटणेकर, 44. विनोद चितू गणेशकर ग्राम- पेरुबाग के सहवासी जो निम्न प्रकार है- 1. सुनील जगन चौहान, 2. गणेश दल सिंह सोलंकी, 3. लखन दल सिंह सोलंकी, 4. अजय मेंगला सोलंकी, 5. विकास मेंगला सोलंकी, 6. मुनेश दल सिंह कनोजे को आईआईटी, पवई 305 स्कायर फिट के फ्लैट की योजना का एक विस्तृत पुनर्वास प्रस्ताव (Rehabilitation Proposal) तैयार कर 30 दिवस के भीतर जिला कलेक्टर मुंबई उपनगर को औपचारिक रूप से प्रेषित करे एवं की गई कार्रवाई से आयोग को भी अवगत करावें।

2. पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रभावित आदिवासी परिवारों को पेयजल, विद्युत, स्वच्छता, आवागमन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ तथा उनके आजीविका साधनों को भी ध्यान में रखते हुए पुनर्वास योजना तैयार की जाए। पुनर्वास के दौरान विस्थापितों की आजिविका के साधन प्रभावित होगें अत: आईआईटी, पवई अपने संस्थान में विस्थापितों को रोजगार प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चत करें ताकि प्रभावितों का प्रभावशील पुनर्वास हो सके।

3. आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि इस विषय में जिला कलेक्टर, आईआईटी पवई, MMRDA तथा BMC के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित कर एक व्यवहारिक एवं सहमति आधारित समाधान तैयार किया जाए, जिससे विकास परियोजनाओं के साथ-साथ जनजाति समुदाय के अधिकारों का भी संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

4. संबंधित अनुसंशा का अनुपालन रिपोर्ट आयोग को 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करें।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक-I
****

फाइल. सं. NCST/DEV-2050 /MH/114/2023-RO-BH

दिनांक: 23.02.2026

विषय: अतिक्रमण दिखाकर विस्थापित करने के सम्बंध में श्रीमती मीना प्रभाकर रावते, अध्यक्ष, भानशीला आदिवासी रहिवाशी सोसाईटी, भनशीला पेरूबाग विहारलेक रोड, पासपोली गांव, पोस्ट-निटी पवई, मुंबई (महाराष्ट्र) का दिनांक 17.07.2023 का आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता मे आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष मे दिनांक 23.02.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3	श्री आर के दुबे	उप निदेशक		
4	श्री चंदन कुमार शर्मा	अनुसंधान अधिकारी		
5	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
6	श्री विवेकानन्द शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
मुंबई, उप-नगर, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	प्रशांत दगे	SDM	9158938750	[signature]
2				

पुलिस आयुक्त ,
जिला-मुंबई , महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	प्रविण पवार	पोलिस निरीक्षक पवई पो. ठाणे	9108168155	[signature]
2				
3				

नगर आयुक्त,
वृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी), मुंबई, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	अनुप ठाकुर	सहाय्यक अभियंता	9619483603	[signature]
2	पंकज मेहेरखांब	कनिष्ठ अभियंता	9930846845	[signature]
3				

महानगर आयुक्त,
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र

1				
2				
3				

निदेशक,आईआईटी बॉम्बे,
पवई, मुंबई, महाराष्ट्र

1	गणेश भोरकडे	कुलसचिव	9833117920	[signature]
2	T. Venugopala Reddy	Chief Engineer	7977901953	[signature]
3	[illegible]	[illegible]	9833523230	[signature]

अभ्यावेदक / अभ्यावेदिका

1				
2				
3				